सुरक्षा, समता, सुख आयेगा! जब पिता मित्र बन जायेगा!

जिम्मेदार पितृत्व अभियान

'मेन्स एक्शन फॉर इक्विटी' म0प्र0 ने फोरम टू इंगेज मेन (फेम) फॉर जेण्डर इक्वलिटी व सी.एच.एस.जे. नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में "बाल अधिकारों के संरक्षण मे पुरूषों की जिम्मेदार पिता के रूप मे भूमिका" पर राष्ट्रीय अभियान चला रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुये इस अभियान का मानना है कि पुरुष अपनी सोच और व्यवहार मे सकारात्मक बदलाव लाकर समानता आधारित, भेदभाव रहित तथा हिंसा मुक्त परिवार व समाज की स्थापना कर सकता है। मैसवा, फेम और सी.एच.एस.जे. के द्वारा जेंडर समानता और महिला हिंसा के विरूद्ध पुरूषों के साथ करीब 10 वर्षो के कार्यों से सीख मिली है कि हर पुरूष हिंसक नहीं है, सारे पुरूष हिंसा का समर्थन नहीं करते और महिलाओं के साथ गैर बराबरी, भेदभाव तथा हिंसा के खिलाफ बहुत सारे पुरूष बेचैनी रखते हैं, खड़े होना चाहते हैं, परन्तु सामाजिक मूल्य तथा मान्यताओं के दबाव मे चुप्पी नहीं तोड़ पाते हैं और ना ही खुल कर विरोध दर्ज करा पाते हैं। यही चुप्पी हिंसा व भेदभाव का सबसे बड़ा कारण बनती है, और ऐसे पुरूष जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और गैर बराबरी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं उनको जगह और माहौल तथा समर्थन नहीं मिल पाता।

पिछले कुछ वर्षों से यह बात जोरदार ढंग से उठाई जाने लगी है कि महिला हिंसा समाप्त करने व जेण्डर समानता को प्राप्त करने के लिए पुरुषों के साथ काम करने की काफी जरूरत है। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि हिंसा व जेण्डर के मुद्दों को केवल महिलाओं से जोड़ कर न देखा जाय। आज जो भी पुरुषों के साथ जेण्डर समानता, महिला हिंसा, पर काम हो रहा है उसमें पुरुषों द्वारा पालन–पोषण व देखभाल (केयरिंग) की भूमिका को जोड़ कर नहीं देखा गया। ज्यादातर पालन–पोषण व देखभाल (केयरिंग) से जुड़े कामों का भार महिलाओं पर है। आज भी हमारे समाज में पुरुषों से कमाने व महिलाओं से घरेलू काम व देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है।

अगर हम भारत के सविधान ओर बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता (यू.एन.सी.आर.सी) 1989 साथ ही बाल श्रम उन्मूलन, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय कानून आदि के कियान्वयन के स्तर को देखें तो भारत के हर कोने से गुणवत्ता पूर्ण कियान्वयन पर सवाल खड़ा होता है। हमारे देश में 2007 में बाल अधिकारों के सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है जो बाल अधिकारों के हनन या बच्चों के खिलाफ मामलों पर निगरानी करता है। हाल ही में संसद ने बाल यौन शोषण पर भी कानून बनाया है। इन तमाम सुरक्षात्मक उपायों के वाबजूद अपने देश में बच्चों की स्थिति अच्छी नहीं है। एक ओर जहां बच्चे शिशु मृत्यु व कुपोषण के शिकार होते हैं वहीं दूसरी ओर सबके लिए

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!
Benefits for registered users:
1.No watermark on the output documents.
2.Can operate scanned PDF files via OCR.
3.No page quantity limitations for converted PDF files.
Remove Watermark Now